

>

Title: Need to set up a bench of Allahabad High court at Gorakhpur.

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ न्यायपालिका है। पीड़ित व्यक्ति जब हर जगह से थक हार जाता है तो वह न्यायपालिका की शरण में जाता है। लेकिन न्यायपालिका में पढ़े तंबित मामलों की संख्या को देखते हुए उसे जल्दी न्याय मिलने की संभावना समाप्त प्रायः सी हो जाती है। न्याय अगर समय पर न मिले तो न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 18 करोड़ है। 18 करोड़ की आबादी में उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों का निराकारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें गोरखपुर, बरती तथा आजमगढ़ मण्डल हैं, की आबादी लगभग 3 करोड़ है। यहाँ की जनता को अपने न्यायालयीय कार्यों के लिए लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। बहुत दिनों से न्याय की सुनवाई तथा इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ गोरखपुर में स्थापित करने की मांग हो रही है।

कृपया इस क्षेत्र की आवश्यकता तथा व्यापक जनहित को देखते हुए तथा न्यायिक सुनवाई को देखते हुए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ गोरखपुर में स्थापित किया जाए।